

प्रपत्र (1)

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिंमोरो

क्रम संख्या
पंजीकरण तिथि

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना

1. आवेदिका का नाम:-
2. पिता का नाम :- माता का नाम
पति का नाम
3. यदि पिता/पति/माता जीवित नहीं हैं तो संरक्षक का नाम व सम्बन्ध
.....
4. स्थाई पता—गांव वार्ड नं० पंचायत
डाकघर तहसील जिला
पिनकोड़
5. दूरभाष / मोबाइल संख्या
6. जन्म तिथि:- अंकों में शब्दों में
7. श्रेणी:- अनु० जाति / अनु० जन०जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अन्य
8. क्या आवेदिका अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखती है? हाँ/नहीं
9. क्या बी०पी०एल० परिवार से सम्बन्धित है:-
10. यदि हाँ, तो परिवार की बी०पी०एल० संख्या सर्वेक्षण वर्ष सहित
11. आवेदिका का आधार कार्ड नम्बर
12. आवेदिका के परिवार का राशन कार्ड नम्बर
13. क्या आवेदिका के परिवार से निम्न, श्रेणियों के सदस्य हैं?

आवेदिका का फोटो

केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/पैशनर, अनुबन्ध/
आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी/ अंशकालित इत्यादि
वर्ग के कर्मचारी सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक
विधवायें मानदेव प्राप्त आंगनवाड़ी
कार्यकर्ता/सहयिका/आशा वर्क/मिड छे मील
वर्क/मल्टी टास्क वर्क, सामाजिक सुरक्षा पैशन
लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं/ शहरी स्थानीय
निकायों के कर्मचारी, केन्द्र/राज्य सरकार के अन्तर्गत
विभिन्न सार्वजनिक उपकरण/बोर्ड/कांउसिल/एजैंसी में
कार्यरत/पैशनभोगी, वस्तु एवं सेवादार हेतु पंजीकृत
व्यक्ति तथा आयकरदाता इत्यादि।

हाँ/नहीं

14. आवेदिका के नाम वैंक/डाकघर में बचत खाते का विवरण
क वैंक/डाकघर का नाम जहाँ खाता है
ख खाता संख्या
ग आई० एफ०एस०री० कोड

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
पैड की स्थाही के साथ

संत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती सुपुत्री/पत्नी गांव
..... वार्ड न0 डाकघर पंचायत तहसील जिला
..... पिनकोड हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रमाण
पत्रों/ तथ्यों/दस्तावेजों की जांच मैंने स्वयं की है तथा इसके दृष्टिगत आवेदिका इंदिरा गांधी प्यारी बहना
सुख-सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत निर्धारित राशि प्राप्त करने हेतु () पात्र/अपात्र है तदानुसार
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को () स्वीकृत/रद्द करने की सिफारिश की जाती है।

तहसील कल्याण अधिकारी

तहसील:

जिला:

नोट:- आवेदिका अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करें:-

1. हिमाचली बोनाफाईड/मूल निवासी प्रमाणपत्र।
2. आयु प्रमाण पत्र।
3. बैंक/डाकघर खाता संख्या की छायाप्रति।
4. आधार कार्ड की छायाप्रति।
5. राशन कार्ड की छायाप्रति।
6. बौद्ध भिक्षुणी के लिये पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य चोमो द्वारा जारी प्रमाणपत्र।